न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 02/2021

GCMS NO. : 2021/4

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. धनगिरी पुत्र भोला गिरी जाति गुसाई निवासी रानीवाल तहसील जैतारण।		1. जीवण गिरी पुत्र भोला गिरी जाति गुसाई निवासी रानीवाल तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 01/01/2021**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 29/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मोजा रानीवाल पटवार हल्का बैड़कंला भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र बैडकला, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 314 रकबा 130 बीघा किस्म चाही दोयम की आई हुई है। जिसमें सायल एवं गैरसायल संख्या 01 का 1/3 वा हिस्सा है। इसी प्रकार वादपत्र मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 का 1/3 वा हिस्सा है तथा शेष 1/3 वा हिस्सा वादपत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 15 तक का है। इन्ही हिस्सो माफिक सायल एवं गैरसायल का वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा है तथा माफिक बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से की भूमि में आवागमन के लिये सामलाती रास्ते भी छोडे गये है। माफिक मौके स्थिति के अनुसार इस खसरा नम्बर 314 की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। पक्षकारो के बीच पूर्व में आपसी सहमति से जो बंटवाड़ा हुआ था इस सम्बन्ध में दिनांक 26.05.1981 को तत्कालीन सभी हिस्सेदारो के बीच बंटवाड़ा बाबत लिखित इकरारनामा भी हुआ था। जिस पर तत्कालीन सभी हिस्सेदारो को सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है। नकल इकरारनामा व नजरी नक्शा एवं इस भूमि की चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित हिस्से अनुसार सायल एवं गैरसायल का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई [illegible] से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में [illegible] उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त [illegible] भूमि के राजस्व [illegible] में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायल संख्या [illegible] आये दिन इस [illegible] के नाप–चौक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सीमा व माठ को लेकर सायल से विवाद कर रहा है तथा मौके पर स्थित खसरा नम्बर 313 गै.मु. बेरा निम्बड़ीया से आगे पूर्वी दक्षिणी तरफ स्थित सायल के हिस्से के कब्जा सुदा खेत में आवागमन करने में गैरसायल संख्या 01 दखलन्दाजी कर रहा है तथा मौके पर सायल का आवागमन को रोक रहा है। इस प्रकार से सायल के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा होना बताकर के सायल के कब्जे काश्त में भी गैरसायल संख्या 01 दखलन्दाजी कर रहा है । जबकि सायल अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहता है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 उसमें भी विवाद कर रहा है। इस वजह से सायल इस विवादित भूमि के बाबत गैरसायल से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करना चाह रहा है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 इसमें सहमत नहीं हो रहा है तथा दिनांक 12.12.2020 को सायल ने गैरसायल संख्या 01 से कथन किया की इस भूमि के नाप चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन गैरसायल संख्या 01 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गया है एवं गैरसायल संख्या 01 ने सायल को ऐलानिया कथन किया कि वह न तो बंटवाड़ा करेगा एवं न ही भविष्य में बेरे से पूर्वी दक्षिणी तरफ स्थित सायल के हिस्से की कब्जा सुदा व काश्तसुदा भूमि पर सायल को काश्त करने देगा। जबकि विवादित भूमि सायल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी गैरसायल विवाद कर रहा है। सायल के पास इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के सादर पेश है। दिनांक 12.12.2020 को गैरसायल संख्या 01 ने सायल के हिस्से की भूमि में जाने वाले रास्ते को रोककर सायल को इस खातेदारी भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है तथा सायल को उसके कब्जे काश्त भूमि से बेकाबिज कर देने बाबत ऐलानिया कथन भी किया है जिस पर सायल ने गैरसायल संख्या 01 से समझाईश की लेकिन गैरसायल संख्या 01 के नहीं मानने से पक्षकारो के बीच भारी विवाद होकर मल्टीपीसीटी अ०फ प्रोसिडिंग होने का अंदेशा है। साथ ही यदि उक्त गैरसायल जबरदस्ती सायल की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेज[illegible] आधार सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है [illegible] भूमि मे से 1/6 वे हिस्से की नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार [illegible] काश्त की शामलाती भूमि है जिसका उपयोग उपभोग एक मात्र सायल [illegible] करता आ रहा है तथा इस भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायल को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायल सायल को बेकाबिज कर सायल की भूमि पर आवागमन के रास्ते में बाधा व अड़चन पैदा करता है तथा सायल के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि में सायल अपने 1/6 वे हिस्से की भूमि पर नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे एवं इस भूमि में आवागमन के रास्ते को काम में लेवे तो उसमें गैरसायल स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें । इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल के मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिए जारी फरमाया जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू-अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2075-78 ग्राम रानीवाल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी द्वारा वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53ए, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सह-खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का सह-खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी का ही हक अधिकार निहित है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सह-खातेदार के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः केवल एक सह–खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः**– चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। अतः अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), पाली
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), पाली
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:12 IST
Reason: SelfAttested